कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांकः 1656 /12-1:दिनांक देहरादून, 17 फरवरी, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय :–जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कपकोट –पिण्डारी ग्लेशियर मोटर मार्ग काफली कमेड़ा मोटर मार्ग (लम्बाई 11.250 किमी0) निर्माण हेतु 6.287 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/13065/2015)

सन्दर्भः–पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय पत्रांक–8बी0/यू0सी0पी0/06/252/2016/एफ0सी0/1588, दिनांक– 11.10.2019,।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगतनीय है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/252/2016/एफ.सी./1588, दिनांक 11.10.2019 के द्वार विषयांकित प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी जिसकी सूचना वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गयी है सूचना निम्नानुसार हैः–

क0सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 12.547 है0 ग्राम–बदियाकोट सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्त्रण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है कि प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 12.547 है0 ग्राम बदियाकोट, सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रू0 38,46,044.00 मात्र (रू0 अड़तीस लाख छियालीस हजार चवालीस मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No. ICICR 52019111400641988 Dtd 14.11.2019 द्वारा किया जा चुका है। **(संलग्न–01)** साथ ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 12.547 है0 ग्राम बदियाकोट, सिविल सोयम भूमि का जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं0 501/छब्बीस–02 वन/2019–20 दिनांक 22.फरवरी. 2020 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दिया गया है।**(संलग्नकः–02)**
2	Guideline para 2.4(i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हरतान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/ संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम बदियाकोट 12.547 है0 सिविल भूमि राजस्व विभाग के स्वामित्व से वन विभाग के स्वामित्व में कार्यालय जिलाधिकारी बागेश्वर के पत्रांक सख्या 501/छब्बीस–02 वन/2019–20 दिनांक 22.फरवरी. 2020 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण स्वीकृति प्रदान करा दी गयी है। उक्त भूमि का खसरा खतौनी में स्वाामित्व वन विभाग के नाम पर दर्ज कर दिया गया है। उक्त भूमि भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–4/20/29 के अन्तर्गत संरक्षित/आरक्षित वन क्षेत्र घोषित है। **(संलग्नकः–03)**
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है किएन0पी0वी0 की धनराशि UTR No. ICICR 52019111400641988 Dtd 14.11.2019 द्वारा रू0

91C

	जायेगी।	53,12,515.00 मात्र (रू0 तिरेपन लाख बारह हजार पॉच सौ पन्द्रह मात्र) जमा की जा चुकी है **(सलग्न 01 के अनुसार)।**
4	शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्वता प्रस्तुत की जाए।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु वचन बद्वता प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्न–4)**
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियॉ (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है किएन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से धनराशि UTR No. ICICR 52019111400641988 Dtd 14.11.2019 द्वारा रू0 91,58,559.00 मात्र (रू0 इक्यानवे लाख अट्ठावन हजार पॉच सौ उनसठ मात्र) जमा की जा चुकी है **(संलग्न 01 के अनुसार)।**
6	सड़क निर्माण के पश्चात जहॉ–जहॉ संभव हो सड़क के दोनों किनारे तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में strip plantation की जोयगी। इस आशय की वचन बद्वता प्रेषित करनी होगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है कि शर्त सं0 5 के अनुपालन में प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्न–5)**

अतः प्रश्नगत प्रकरण में वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के द्वारा प्रेषित सूचना के क्रम में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार :–

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : / 12–1, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।
2.प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
3.अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पी0आई0यू0–2, पी0एम0जी0एस0वाई0, कपकोट बागेश्वर।

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

71

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।
Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक – 1832 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 23-01- 2024.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद– बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कपकोट – पिण्डारी ग्लेशियर मोटर मार्ग काफली कमेड़ा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 6.287 है0 वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। प्रस्ताव सं0 13065 / 2015।

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून की पत्र सं0 08 बी / यू0सी0पी0 / 06 / 252 / 2016 / एफ0सी0 / 1588 दिनांक 11.10.2019।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर के पत्रांक 2753/12-1 (2) दिनांक 09.01.2024 द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न– यथोपरि।

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून
सं0 3143
12-1
दिनांक

भवदीय

(पी0के0 पात्रो)
मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

सं0 अ0 / प्रभारी बागेश्वर

आ0 का0 हेतु,

उ0 प्र0 व0 सं0 / नो0
01-2-24

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com/dfobageshwar03gmail.com
दूरभाष नं0:– 05963-220249 फैक्स नं0:– 05963-220209

पत्रांक 2753 / 12-1-2 बागेश्वर दिनांक : 09/01/2024

सेवा में,

वन सरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय :– **जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कपकोट –पिण्डारी ग्लेशियर मोटर मार्ग काफली कमेड़ा मोटर मार्ग (लम्बाई 11.250 किमी0) निर्माण हेतु 6.287 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/13065/2015**

सन्दर्भ :– भारत सरकार का पत्रांक सं0 08बी / यू0सी0पी0/06/252/2016/ एफ0सी0 / 1588 दिनांक 11.10.2019।

महोदय,

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा जनपद बागेश्वर में **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कपकोट –पिण्डारी ग्लेशियर मोटर मार्ग काफली कमेड़ा मोटर मार्ग (लम्बाई 11.250 किमी0) निर्माण हेतु 6.287 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग** को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति मे अधिरोपित शर्तो का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई है :–

क्र0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
	2	3
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 12.547 है0 ग्राम–बदियाकोट सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्त्रण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 12.547 है0 ग्राम बदियाकोट, सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रू0 38,46,044.00 मात्र (रू0 अड़तीस लाख छियालीस हजार चवालीस मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No. ICICR 52019111400641988 Dtd 14.11.2019 द्वारा किया जा चुका है। **(संलग्न–01)** साथ ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 12.547 है0 ग्राम बदियाकोट, सिविल सोयम भूमि का जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं0 501 / छब्बीस–02 वन / 2019–20 दिनांक 22.फरवरी.2020 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण / नामान्तरण कर दिया गया है। **(संलग्नकः–02)**
2	Guideline para 2.4(i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम बदियाकोट 12.547 है0 सिविल भूमि राजस्व विभाग के स्वामित्व से वन विभाग के स्वामित्व में कार्यालय जिलाधिकारी बागेश्वर के पत्रांक सख्या 501 / छब्बीस–02 वन / 2019–20 दिनांक 22.फरवरी.2020 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण / नामान्तरण स्वीकृति प्रदान करा दी गयी है। उक्त भूमि का खसरा खतौनी में स्वामित्व वन विभाग के नाम पर दर्ज कर दिया गया है। उक्त भूमि भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–4 / 20 / 29 के अन्तर्गत संरक्षित / आरक्षित वन क्षेत्र घोषित है। **(संलग्नकः–03)**
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5–3 / 2007- एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान एन0पी0वी0 की धनराशि UTR No. ICICR 52019111400641988 Dtd 14.11.2019 द्वारा रू0 53,12,515.00 मात्र (रू0 तिरेपन लाख बारह हजार पाँच सौ पन्द्रह मात्र) जमा की जा चुकी है	

Nodal adikari

	मूल्य(एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	(सलग्न 01 के अनुसार)।
4	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्न–4)**
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियों (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से धनराशि UTR No. ICICR 52019111400641988 Dtd 14.11.2019 द्वारा रू0 91,58,559.00 मात्र (रू0 इक्यानबे लाख अट्ठावन हजार पाँच सौ उनसठ मात्र) जमा की जा चुकी है **(संलग्न 01 के अनुसार)।**
6	सडक निर्माण के पश्चात जहाँ–जहाँ संभव हो सडक के दोनों किनारे तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में strip plantation की जोयगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	शर्त स0 5 के अनुपालन में प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्न–5)**

संलग्न–चार प्रतियों में

भवदीय,

(उमेश चन्द्र तिवाड़ी)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Nodal adikari

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,पी0आई0यू0–2,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कपकोट,।

ई–मेलः– eeprmgsykapkot@rediffmail.com

पत्रांकः– 1154 / ग्रा0नि0वि0 / पी0एम0जी0एस0वाई0 / 2023–24, दिनांकः– 18 / 01 / 2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग, बागेश्वर।

विषयः– **जनपद बागेश्वर मे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कपकोट–पिण्डारी–ग्लेशियर मोटर मार्ग के किमी0 11 कॉफली–कमेड़ा मोटर मार्ग (लम्बाई–11.250 किमी0) निर्माण हेतु 6.287 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यार्वतन। (प्रस्ताव संख्या FP/ UK/ ROAD/13065/2015)**

सन्दर्भः– भारत सरकार के पत्रांक संख्या 08 बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 252 / 2016 / एफ0सी0 / 1588, दिनांक 11.10.2019

महोदय,

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कपकोट–पिण्डारी–ग्लेशियर मोटर मार्ग के किमी0 11 कॉफली–कमेड़ा मोटर मार्ग (लम्बाई–11.250 किमी0) निर्नाण हेतु 6.287 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यार्वतन करने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विन्दुवार निम्न प्रकार अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई है :–

क्र0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन ऑख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 12.547 है0 ग्राम–बदियाकोट सिविल सोयम भमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 12.547 है0 ग्राम बदियाकोट, सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु रू0 38,46,044.00 मात्र (रू0 अड़तीस लाख छियालीस हजार चौवालिस मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No. ICICR 52019111400641988, Dtd 14.11.2019 द्वारा किया जा चुका है। **(संलग्नकः–01)** साथ ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 12.547 है0 ग्राम बदियाकोट, सिविल सोयम भूमि का जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश संख्या 501 / छब्बीस–02 वन/ 2019–20, दिनांक 22 फरवरी, 2020 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण / नामान्तरण कर दिया गया है। **(संलग्नकः–02)**
2	Guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम बदियाकोट 12.547 है0 सिविल भूमि राजस्व विभाग के स्वामित्व से वन विभाग के स्वामित्व में कार्यालय जिलाधिकारी बागेश्वर के पत्रांक संख्या 501 / छब्बीस–02 वन / 2019–20, दिनांक 22 फरवरी, 2020 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण / नामान्तरण स्वीकृति प्रदान करा दी गयी है। उक्त भूमि का खसरा खतौनी में स्वामित्व वन विभाग के नाम पर दर्ज कर दिया गया है। उक्त भूमि भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–4 / 20 / 29 के अन्तर्गत संरक्षित / आरक्षित वन क्षेत्र घोषित है।**(संलग्नकः–03)**
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	एन0पी0वी0 की धनराशि UTR No. ICICR 52019111400 641988, Dtd 14.11.2019 द्वारा रू0 53,12,515.00 मात्र (तिरेपन लाख बारह हजार पांच सौ पन्द्रह मात्र) जमा की जा चुकी है। (संलग्नकः–01 के अनुसार)

4	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुयी दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत की जाए।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुयी दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु वचनबद्धता प्रमाण संलग्न है। (संलग्नकः–05)
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैध पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से धनराशि UTR No. ICICR 52019111 400641988, Dtd 14.11.2019 द्वारा रू0 91,58,559.00 मात्र (रू0 इक्यानवे लाख अठावन हजार पाँच सौ उनसठ मात्र) जमा की जा चुकी है। (संलग्नकः–01 के अनुसार)
6	सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ–जहाँ सम्भव हो सडक के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जाएगी। इस आशय की वचनबद्धता प्रेषित करनी होगी।	शर्त सं0 5 के अनुपालन में प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्न–5)

संलग्नः– चार प्रतियों में ।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रा0नि0वि0, पी0एम0जी0एस0वाई0,
कपकोट।

DK

कार्यालय प्रभागीय -

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - **moef.ddn@gov.in**

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 252 / 2016 / एफ0सी0 / 1588

दिनांक: 11 / 10 / 2019

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय : **जनपद – बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कपकोट–पिण्डारी गलेश्यिर मोटर मार्ग काफली कमेड़ा मोटर मार्ग (लम्बाई 11.250 कि0मी0) निर्माण हेतु 6.287 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भ: **अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या– 1103/X-4-16/1(360)/2016 दिनांक 04.11.2016**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/Road/13065/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर समय–समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां/दस्तावेज मंगवाये जाते रहे है, जिनके प्राप्त होने के उपरान्त तथा प्रस्ताव पर Regional Empowered Committee (REC) की दिनांक 30, सितम्बर 2019 को हुई बैठक में संस्तुति होने के उपरान्त केन्द्र सरकार **जनपद – बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कपकोट–पिण्डारी गलेश्यिर मोटर मार्ग से काफली कमेड़ा मोटर मार्ग (लम्बाई 11.250 कि0मी0) निर्माण हेतु 6.287 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन** किये जाने की **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 12.547 है0 ग्राम बदियाकोट सिविल भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
4. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) **को वैब** पोर्टल ***पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य*** माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।

6. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् **विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तो सहित निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान की जायेगीः–**

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 12.547 है0 ग्राम बदियाकोट सिविल एवं सोयम भूमि भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अर्न्तगत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।
7. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।
8. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।
9. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 271 से अधिक न हो।
10. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी।
11. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
13. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

11/2/14

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

संलग्न - 1

FP/UK/ROAD/13065/2015 Construction of Kapkot Pindari Galeshicar to Kafalikmera Motor Road	ROAD130652015048	6113065048	11 Oct 2019	CA: PCA: Safety Zone: NPV: Other Charges1 : Other Charges2 : Other Charges3 : Total :	3846044/- , 0/- , 0/- , 5312515/- , 0/- 0/- 0/- 9158559/-	Addl CA : CAT : Addl PA : Other Charges :	0/- 0/- 0/- 0/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** **Bank Name** **Mode of Payment** **Challan Generated On** **Transaction Date**	:25 Oct 2019 :Corporation Bank :NEFT/RTGS (Challan) :01 Nov 2019 :14 Nov 2019	

सहायक अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
पी० आई० यू०–II, कपकोट
बागेश्वर

अधिशासी अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
पी० आई० यू०–II, कपकोट
बागेश्वर

संलग्न-2

सामान्य
24/02/2020

आदेश

उपजिलाधिकारी कपकोट की आख्या/रिपोर्ट के आधार पर जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पिण्डारी ग्लेशियर मोटर मार्ग से काफलीकमेड़ा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रयुक्त वन भूमि 6.287 हे0 वन भूमि की दुगुनी अवनत भूमि 12.574 हे0 भूमि जो ग्राम बदियाकोट राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र बदियाकोट तहसील कपकोट जिला बागेश्वर के गैर जमीदारी विनाश खतौनी के खाता संख्या–110 के श्रेणी 9(3) ख (1) इमारती लकड़ी के जंगल के पैमाईसी खेत नम्बर 4306 रकवा 29.250 हे0 मध्ये 12.574 हे0 भूमि प्रस्तावित है, को शासनादेश संख्या–2173/xviii(II) 2012–18 (120)/2010 दिनाक 17 दिसम्बर,2012 तथा उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या– 08बी0/यू0सी0पी0/06/97/2017/एफ0सी0/267/दिनाक 11.05.2018 में दी गयी व्यवस्था /शर्तो के अधीन क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग, के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर।

संख्या– 501 /छब्बीस– 02 वन/ 2019–20 दिनाक 22 फरवरी वरी 2020,

प्रतिलिपिः– निम्नाकित को सूचनार्थ ऐव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01– प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर, वन प्रभाग, बागेश्वर।

02 उपजिलाधिकारी, कपकोट।

03– अधिशासी अभियंन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पी0आई0यू0–2, पी0एम0जी0एस0वाई0 कपकोट, जनपद बागेश्वर।

04– तहसीलदार, कपकोट को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित/प्रस्तावित भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संम्बन्धित भूमि की खतौनी की एक–एक प्रति मय प्रमाण पत्र सहित वन विभाग तथा याचक विभाग को उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

20/02/20

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

3170
24/2/2020

12-1-2

दूरभाष नं0:– 05963-220249 फैक्स नं0:– 05963-220209

अनुलग्नक-3

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं वन संरक्षण नियमावली, 2003 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव संख्या **FP/UK/ROAD/13065/2015** योजना **जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कपकोट –पिण्डारी ग्लेशियर मोटर मार्ग काफली कमेड़ा मोटर मार्ग (लम्बाई 11.250 किमी0) निर्माण हेतु 6.287 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन** के लिये वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त ग्राम बदियाकोट में **12.547 है0** सिविल भूमि (सिविल/सोयम/बंजर/अवनत वन/अन्य वन) इत्यादि राजस्व विभाग के स्वामित्व से वन विभाग के स्वामित्व में कार्यालय जिलाधिकारी बागेश्वर के पत्रांक संख्या 501/छब्बीस–02 वन/2019–20 दिनांक 22.फरवरी.2020 से हस्तान्तरित/आवन्टित कर वन विभाग के पक्ष में अमल दरामद करा दी गयी है। उक्त भूमि का खसरा खतौनी में स्वामित्व वन विभाग के नाम पर दर्ज कर दिया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु इसका कब्जा वन विभाग द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। उक्त भूमि भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–4/20/29 के अन्तर्गत संरक्षित/आरक्षित वन क्षेत्र घोषित है।

(उमेश चन्द्र तिवाडी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।

कार्यालय वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊँ वृत्त उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा
पत्रांक / दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक/क्षेत्रीय अधिकारी, (उत्तर मध्य क्षेत्र), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, 25, सुभाष रोड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।
5. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल/कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
6. जिलाधिकारी बागेश्वर।
7. गार्ड बुक।

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।

संलग्न-4

प्रमाण पत्र

परियोजना का नामः— जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत कपकोट—पिण्डारी—ग्लेशियर मोटर मार्ग के किमी 11 से कॉफली—कमेड़ा मोटर मार्ग (लम्बाई—11.250 किमी0) का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुयी दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी, जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

कनिष्ठ अभियन्ता,
ग्रा0नि0वि0,पी0एम0जी0एस0वाई0,
कपकोट।

सहायक अभियन्ता,
ग्रा0नि0वि0,पी0एम0जी0एस0वाई0,
कपकोट।

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रा0नि0वि0,पी0एम0जी0एस0वाई0,
कपकोट।

संलग्नक-5

प्रमाण पत्र

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत कपकोट–पिण्डारी–ग्लेशियर मोटर मार्ग के किमी 11 से कॉफली–कमेड़ा मोटर मार्ग (लम्बाई–11.250 किमी0) का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

Strip Plantation किये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क निर्माण के पश्चात जहॉ–जहॉ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जाएगी। जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

कनिष्ठ अभियन्ता,
ग्रा0नि0वि0,पी0एम0जी0एस0वाई0,
कपकोट।

सहायक अभियन्ता,
ग्रा0नि0वि0,पी0एम0जी0एस0वाई0,
कपकोट।

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रा0नि0वि0,पी0एम0जी0एस0वाई0,
कपकोट।